तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज F.S.S.Act Case No.27/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
20.3.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी राहुल पुत्र श्री रामखेलावन, जाति– लोधी, निवासी– कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, स्थाई निवासी– करमलीं खेडा, बरलिया, लखनउ (उ.प्र.) 227305, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सुरेन्द्र कुमार मिल्क एण्ड मावा स्टोर, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 18.10.2022 को फर्म सुरेन्द्र कुमार मिल्क एण्ड मावा स्टोर, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी राहुल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) का नमूना संख्या S-1898 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1832/Act/2022/1814 दिनांक 07.11.2022 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 17.3.2023 को प्रतिवादी राहुल की ओर से उसके भाई सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामखेलावन, निवासी– करमली खेडा, बरलिया, लखनउ, बरवालिया, उ.प. ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें यह अंकित किया है कि उसका भाई राहुल गांव चले जाने से वह इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर रहा है। प्रकरण में प्रतिवादी राहुल की ओर से जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में कोई साक्ष्य ली जाना उचित नही होने से प्रतिवादी के भाई सुरेन्द्र कुमार को सुना गया। उसने अनुरोध किया कि उनका व्यापार छोटा है व आस–पास के गांवों से दूध इक्कठा कर मावा बनता है उसने मावे में कोई मिलावट नही की है। अतः कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव दिनांक 18.10.2022 [illegible] पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म सुरे[illegible]ल्क एण्ड मावा स्टोर, कोजरा, तहसील– [illegible]र खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक [illegible] प्रतिवादी राहुल पुत्र श्री .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:17:36 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज F.S.S.Act Case No.27/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

जाति– लोधी, निवासी–कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, स्थाई निवास– करमलीं खेडा, बरबलिया, लखनउ, उ.प. उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ मावा (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री मादाराम मीणा, तहसीलदार, पिण्डवाडा के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता राहुल को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने दुकान के स्टील की ट्रे में बिक्री हेतु मौजूद मीठा मावा (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) लगभग 20 किलोग्राम को अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया व इस एकरुप किये हुए खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) में से 2 किलोग्राम मीठा मावा (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) को एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 5,00/– (अक्षरे रुपये पांच सौ मात्र) विक्रेता राहुल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1898, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीद शुदा खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) को चारों अलग अलग साफ सूखी व खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक शीशी में फार्मेलीन की 20–20 बूंदे डालकर इन चारों शीशीयों को ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1898 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना [illegible] हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री [illegible] यादव ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों [illegible] अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जा/ज[illegible] मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर [illegible] तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:17:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय प्रति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज F.S.S.Act Case No.27/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने दिनांक 19.10.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 18.10.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा सुरेन्द्र कुमार मिल्क एण्ड मावा सेन्टर, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी राहुल से खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) के नमूना संख्या S-1898 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1832/Act/2021/1814 दिनांक 07.11.2022 में खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) का नमूना संख्या S-1898 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी राहुल पुत्र श्री रामखेलावन, जाति– लोधी, निवासी– कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, स्थाई निवासी– करमलीं खेडा, बरलिया, लखनउ (उ.प्र.) 227305, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सुरेन्द्र कुमार मिल्क एण्ड मावा स्टोर, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत [illegible] क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.20[illegible] प्रदत शक्तियों का [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:17:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज F.S.S.Act Case No.27/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	प्रयोग करते हुए अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध व चीनी से निर्मित मिठाई) का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी राहुल पुत्र श्री रामखेलावन, जाति– लोधी, निवासी– कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, स्थाई निवासी– करमलीं खेडा, बरलिया, लखनउ (उ.प्र.) 227305, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सुरेन्द्र कुमार मिल्क एण्ड मावा स्टोर, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी राहुल पुत्र श्री रामखेलावन, जाति– लोधी, निवासी– कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, स्थाई निवासी– करमलीं खेडा, बरलिया, लखनउ (उ. प्र.) 227305, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सुरेन्द्र कुमार मिल्क एण्ड मावा स्टोर, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 7 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 18.4.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड) अति. जिला कलक्टर, सिरोही Signature Not Verified Digitally signed by Kalu Ram Khod Date: 2023.07.21 17:17:36 IST Reason: SelfAttested	